UPMO0010028692026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

उपस्थित–सै0 माऊज़ बिन आसिम, (एच0जे0एस0) I.D. No-UP1895

दाण्डिक विविध वाद सं0–267 / 2026

श्रीमती सीमा शर्मा आदि बनाम उ0प्र0 राज्य आदि।

07.07.2026

1– पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र 3बी, अर्न्तगत धारा 05 भारतीय अवधि परिसीमन अधिनियम, पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

2– प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 3बी इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, उपरोक्त वाद जो कि प्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय में चल रहा था, इससे संबंधित कोई भी नोटिस, कोई भी सम्मन, कोई भी सूचना प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं करायी गयी। उपरोक्त वाद की सूचना प्रार्थीगण को दिनांक 31.01.2026 को थाने के सिपाही द्वारा सम्मन दिये जाने पर दी थी। प्रार्थीगण ने जानबूझकर कोई देरी नहीं की है। उपरोक्त परिस्थितियों में धारा 5 भारतीय अवधि परिसीमन अधिनियम, का लाभ प्रदान करते हुए योजित निगरानी को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना की गयी है।

3– विपक्षी संख्या–02 के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र पर इस आशय का पृष्ठांकन किया है कि प्रार्थना पत्र को हर्जे पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

4– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षीगण की ओर से प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम, के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रार्थिनीगण / निगरानीकर्तागण ने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि प्रश्नगत वाद का कोई सम्मन, नोटिस अथवा सूचना प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हुई, प्रथम बार दिनांक 31.01.2026 को थाने के सिपाही द्वारा सम्मन दिये जाने पर जानकारी हुई है। प्रार्थिनी / निगरानीकर्तागण की ओर से जानबूझकर कोई देरी नहीं की गयी है, बल्कि जो भी देरी हुई है, वह मुकदमे की जानकारी न होने के कारण हुई है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र के खण्डन में विपक्षीगण की ओर से कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने पत्रावली पर इस आशय की टिप्पणी अंकित की है कि प्रार्थना–पत्र को हर्जे पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है, अर्थात उसे प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.07.07 17:40:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अखण्डनीय होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय लचीला रूख अपनाना चाहिये तथा न्यायालय को प्रकरण का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किये जाने हेतु अग्रसर होना चाहिये। उपरोक्त परिस्थिति में प्रश्नगत निगरानी के प्रस्तुतीकरण में हुये 460 दिन के विलम्ब को क्षमा किया जाना उचित प्रतीत होता है। जहॉ तक प्रार्थना–पत्र के विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विपक्षी को हुई कठिनाई का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विपक्षीगण को हर्जा दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र 3बी, अर्न्तगत धारा 5 भारतीय अवधि परिसीमन अधिनियम, मु0–500/–(पांच सौ) रू0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। दाण्डिक निगरानी के प्रस्तुतीकरण में हुए 460 दिन के विलम्ब को क्षमा करते हुए निगरानी को समय सीमा के अन्तर्गत तसव्वुर किया जाता है। दाण्डिक निगरानी, वास्ते सुनवाई अंगीकरण दिनॉक 18.07.2026 को पेश हो।

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

दिनांक–07.07.2026

स्टेनो–राजीव,